न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/03/2025 रजू दिनांकः 08.01.2025 रजि0 न0 2025/3

अपीलार्थीः—

श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री बंशीधर खटीक, निवासी ग्राम—पोस्ट खोह दरीबा, तहसील टहला, जिला अलवर 301410 (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर (राजस्थान)

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 21.01.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 13.08.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 14.01.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्रांक लो.सू.अ/प्रथम अपील/2025/65 दिनांक 16.01.2025 प्रेषित कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 13.08.2024 के परिपेक्ष्य में इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय द्वारा किए गए विनिश्चय पत्र सं. 2219 दिनांक 26.11.2024 पर असंतोष व्यक्त किया है के संबंध में उल्लेखनिय है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 13.08.2024 के परिपेक्ष्य में इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर, अभिलेख पर उपलब्ध/संधारित सूचना कार्यालय पत्रांक लो.सू.अ./RTI/2024/2219 दिनांक 26.11.2024 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित की जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के साथ—साथ कार्यवाही किए जाने हेतु अनुरोध किया है जो कि उक्त अधिनियम 2005 के अन्तर्गत स्वीकार्य नही है। अन्य कोई सूचना/कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि सूचना आवेदन के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पूर्व पत्रांक लो.सू.अ./RTI/2024/2219 दिनांक 26.11.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर वांछित सूचना प्रेषित की जा चुकी है। तथापि प्रत्यर्थी द्वारा जरिये प्रतिलिपि पत्रांक सम/66 दिनांक 16.01.2025 के द्वारा पूर्व प्रेषित सूचना की छायाप्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानानुसार विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)